न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 151/2024

निर्णय दिनांक :– 24.6.24

श्रवण कुमार पुत्र चान्दाराम जाति सैनी निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–(1) राजपैरोकार वास्ते अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 251/55 तादादी 02.9969, खसरा संख्या 70 तादादी 01.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 04.2614 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हैं। उक्त कृषि भूमि ही विवादित है।

कृषि भूमि खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 251/55 तादादी 02.9969, खसरा संख्या 70 तादादी 01.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 04.2614 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरू गांव गलगटी की रोही में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पड़ौसियान हमेशा सींव बावत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारों तरफ बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकता है व उक्त कृषि भूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थी की कृषि भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 251/55 तादादी 02.9969, खसरा संख्या 70 तादादी 01.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 04.2614 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरू की पैमाई करवाना चाहता हैं। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर करवाना चाहता हैं जिस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को लिखित में विवादित भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थर गढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र दिया व कहा कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवाई जाकर

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये। परन्तु अप्रार्थी आना कानी करता रहा व अब दिनांक ....
.2024 को अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश होने पर ही तुम्हारे उक्त खेत की पत्थरगढ़ी करेगें प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारीख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है। आदि–आदि।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त भूमि के सीमाओं के सीमा चिन्ह कायम कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। उन्होने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित प्रभवित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खेत खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 251/55 तादादी 02.9969, खसरा संख्या 70 तादादी 01.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 04.2614 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर सीमा चिन्ह करवाना चाहते है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर है तथा प्रार्थी के खेत कृषि भूमि खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 251/55 तादादी 02.9969, खसरा संख्या 70 तादादी 01.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 04.2614 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरू के सीमाचिन्ह राजस्व नक्शा के मुताबिक कायम कराने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि वह पैमाईश में दक्ष कार्मिकों टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार के निर्देशन में पडौसी खातेदारों को उपस्थिति का अवसर देते हुये उक्त खेत के सीमाचिन्ह कायम करावे। समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)